# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ / एल.पी.सी. / 15 / डी– 263 दिनांकः– 8/4/15

## कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **115वीं बैठक दिनांकः 31.03.15 को प्रातः 10.30 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

| क्र. सं | जोन नं. | प्रस्ताव संख्या | विषय | निर्णय |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | 115:1 | भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 114वीं बैठक दिनांक 19.02.15 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 103वीं से 114वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत। | भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 114वीं बैठक दिनांक 19.02.15 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 103 से 114 की पालना की समीक्षा की गई। अधिकांश प्रकरणों में पालना प्राप्त हो गई है। जिन प्रकरणों में पालना अवशेष है, उनकी पालना आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित उपायुक्त को दिये गये। |
| 2. | 10 | 115:2 | जयपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लि0 को आवंटित ग्राम बगराना के खसरा नं. 248 में से 10 बीघा भूमि के आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत। | जयपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लि0 को ग्राम बगराना के खसरा नं. 248 में से 10 बीघा भूमि आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति एलपीसी द्वारा प्रदत्त करने का निर्णय लिया गया। प्रबन्ध निदेशक, जे0सी0टी0एस0एल0 ने उक्त भूमि 1/– रूपये टोकन मनी पर आवंटन की मांग की है। रियायत के सम्बन्ध में निर्णय हेतु प्रकरण राज्य सरकार को अग्रेषित किये जाने का भी निर्णय लिया गया। |
| 3. | 12बी | 115:3 | अधिशाषी अभियंता, पी.एच.ई. III, जविप्रा, जयपुर को जविप्रा की मूर्तिकला विहार योजना ग्राम रोजदा में पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स के लिये 3600 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने हेतु। | अधिशाषी अभियंता (पीएचई–तृतीय), जविप्रा, जयपुर ने मूर्तिकला विहार आवासीय योजना ग्राम रोजदा में पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स के लिये 60 X 60 = 3600 व.मी. भूमि आरक्षित करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र की कुल भूमि में से पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स (पम्प हाउस, सी डब्ल्यू आर, उच्च जलाशय, स्टोर रूम इत्यादि) के लिये 3600 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। |
| 4. | 12 | 115:4 | कृष्णा बलराम ग्रीन होम्स् को निजी खातेदारी योजना अनुकृति ग्रीन एकर्स ग्राम नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर में स्थित सुविधा क्षेत्र 5226.86 वर्गगज क्षेत्रफल को स्कूल के लिये 4103.17 वर्गगज क्षेत्रफल नर्सिंग होम तथा 2531.67 वर्गगज क्षेत्रफल गेस्ट हाउस हेतु आवंटन करने बाबत। | कृष्णा बलराम ग्रीन होम्स् द्वारा उपायुक्त को दिनांक 12.02.15 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निजी खातेदारी योजना अनुकृति ग्रीन एकर्स ग्राम नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 25, 26, 27, 28, 29/663, 30 में स्थित सुविधा क्षेत्र 5226.86 वर्गगज क्षेत्रफल को स्कूल के लिये 4103.17 वर्गगज क्षेत्रफल नर्सिंग होम तथा 2531.67 वर्गगज क्षेत्रफल गेस्ट हाउस हेतु आवंटन करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन–12 द्वारा उक्तानुसार एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 से अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं में सुविधा क्षेत्र को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। अतः प्रस्तावानुसार निजी खातेदारी योजना के सुविधा क्षेत्र 5226.86 वर्गगज क्षेत्रफल को स्कूल के लिये 4103.17 वर्गगज क्षेत्रफल नर्सिंग होम |

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | तथा 2531.67 वर्गगज क्षेत्रफल गेस्ट हाउस हेतु योजना की आवासीय आरक्षित दर पर विकासकर्त्ता को आवंटन करने का निर्णय लिया गया। |
| 5. | 12 | 115:5 | श्री गजानन्द खींची पुत्र श्री रामनारायण खींची की निजी खातेदारी भूमि ग्राम गाडौता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 842/69, 843/92 कुल किता 2 कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ एकल पट्टा के अनुमोदन के संबंध में उक्त भूमि पर जाने हेतु रास्ते उपलब्ध कराने बाबत। | श्री गजानन्द खींची पुत्र श्री रामनारायण खींची की निजी खातेदारी भूमि ग्राम गाडौता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 842/69, 843/92 कुल किता 2 कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ एकल पट्टा के अनुमोदन के संबंध में उक्त भूमि पर जाने हेतु रास्ते के प्रयोजनार्थ भूमि खसरा नं. 173 में से 414.62 वर्गमीटर आवंटन हेतु उपायुक्त जोन–12 ने एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 व नविवि की नीति दिनांक 19.04.11 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने का विवरण एजेण्डा नोट में अंकित किया है। नविवि की आवंटन नीति दिनांक 19.04.11 व राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के अन्तर्गत निजी खातेदार को भूमि आवंटन का प्रावधान नहीं है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 में प्रस्तावित टाउनशिप के अन्दर स्थित सिवायचक/चरागाह/रास्ते की भूमि के आवंटन का प्रावधान है। प्रश्नगत भूमि प्रस्तावित टाउनशिप योजना के अन्दर स्थित न होकर बाहर स्थित है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रश्नगत भूमि को जोन की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर रास्ते हेतु आवंटन करने की अभिशंषा अग्रांकित शर्तों सहित राज्य सरकार को किये जाने का निर्णय लिया गया। रास्ते के लिए आवंटित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में ली जावेगी। प्रश्नगत भूमि पर आवेदक को कोई स्वत्व/स्वामित्व नहीं मिलेगा। |
| 6. | 12 | 115:6 | श्री गजानन्द खींची पुत्र श्री रामनारायण खींची की निजी खातेदारी भूमि ग्राम गाडौता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 69, 92 कुल किता 2 कुल रकबा 0.81 हैक्टेयर के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ एकल पट्टा के अनुमोदन के संबंध में उक्त भूमि पर जाने हेतु रास्ते उपलब्ध कराने बाबत। | श्री गजानन्द खींची पुत्र श्री रामनारायण खींची की निजी खातेदारी भूमि ग्राम गाडौता तहसील मौजमाबाद के खसरा नं. 69, 92 कुल किता 2 कुल रकबा 0.81 हैक्टेयर के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ एकल पट्टा के अनुमोदन के संबंध में उक्त भूमि पर जाने हेतु रास्ते के प्रयोजनार्थ भूमि खसरा नं. 173 में से 423.21 वर्गमीटर आवंटन हेतु उपायुक्त जोन–12 ने एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 व नविवि की नीति दिनांक 19.04.11 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने का विवरण एजेण्डा नोट में अंकित किया है। नविवि की आवंटन नीति दिनांक 19.04.11 व राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के अन्तर्गत निजी खातेदार को भूमि आवंटन का प्रावधान नहीं है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 में प्रस्तावित टाउनशिप के अन्दर स्थित सिवायचक/चरागाह/रास्ते की भूमि के आवंटन का प्रावधान है। प्रश्नगत भूमि प्रस्तावित टाउनशिप योजना के अन्दर स्थित न होकर बाहर स्थित है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रश्नगत भूमि को जोन की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर रास्ते हेतु आवंटन करने की अभिशंषा अग्रांकित शर्तों सहित राज्य सरकार को किये जाने का निर्णय लिया गया। रास्ते के लिए आवंटित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में ली जावेगी। प्रश्नगत भूमि पर आवेदक को कोई स्वत्व/स्वामित्व नहीं मिलेगा। |

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

<table>
<tr><td>7.</td><td>13</td><td>115:7</td><td>जविप्रा के ग्राम चौमू के खसरा नं. 3149/1 में से एल.आई.सी. मण्डल शाखा चौमू के कार्यालय भवन एवं अधिकारी आवास हेतु 1500 वर्गमीटर भूखण्ड आवंटन बाबत।</td><td>उपायुक्त जोन–13 ने जविप्रा के ग्राम चौमू के खसरा नं. 3149/1 में से एल.आई.सी. मण्डल शाखा चौमू के कार्यालय भवन एवं अधिकारी आवास हेतु 1500 वर्गमीटर भूखण्ड आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त ने अवगत कराया कि भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल शाखा चौमू को आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन सह मांग पत्र जारी कर दिया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>13ए</td><td>115:8</td><td>राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पात्र 2 शिक्षकों को पीताम्बरा आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।</td><td>राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधानानुसार निम्नांकित 2 शिक्षकों को पीताम्बरा आवासीय योजना में प्रत्येक को 200 वर्गमीटर का नॉन कार्नर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा समस्त रिक्त नॉन कार्नर भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा निम्न आवेदकों में से प्रत्येक को एक भूखण्ड आवंटन किया जावे:–<br>1. श्री महावीर सुथार<br>2. श्रीमती अनन्त कुमारी</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>13ए</td><td>115:9</td><td>श्री भजन लाल मीणा को हरचन्दपुरा डेयरी योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 243 के स्थान पर अन्य रिक्त भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में।</td><td>श्री भजन लाल मीणा पुत्र श्री आनन्दी लाल मीणा को हरचन्दपुरा डेयरी योजना में भूखण्ड संख्या 243 क्षेत्रफल 202.50 वर्गमीटर आवंटित किया गया था। भूखण्ड संख्या 243 वन विभाग की भूमि में होने व भूखण्ड पर विकास कार्य नहीं होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में श्री भजन लाल मीणा को भूखण्ड संख्या 243 के स्थान पर समान क्षेत्रफल के रिक्त भूखण्ड संख्या 12 व 82 में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 243 के स्थान पर योजना में समान क्षेत्रफल के रिक्त नॉन कॉर्नर भूखण्ड संख्या 12 व 82 में से एक भूखण्ड लॉटरी के माध्यम से विनिमय करने का निर्णय लिया गया।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>14</td><td>115:10</td><td>जविप्रा की योजना अभिनव विहार विस्तार में सडक क्षेत्र से प्रभावित भूखण्डधारियों को विनिमय में भूखण्डों का आवंटन किये जाने बाबत।</td><td>उपायुक्त जोन–14 द्वारा जविप्रा की आवासीय योजना अभिनव विहार विस्तार में सडक क्षेत्र से प्रभावित होने के कारण निम्नानुसार विनिमय किया जाना प्रस्तावित किया है:–
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>भूखण्ड संख्या</th><th>क्षेत्रफल</th><th>सडक चौडाई</th><th>विनिमय में दिये जाने वाले रिक्त भूखण्ड</th><th>क्षेत्रफल</th><th>सडक चौडाई</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>के–253</td><td rowspan="14">90 व. मी.</td><td rowspan="14">12 मी.</td><td rowspan="14">के–75, के–77, के–78, के–121, के–122, के–123, के–126, के–153, के–157, के–163, के–164, के–167, के–168, के–169, के–172, के–173, के–187, के–190,</td><td rowspan="14">90 व. मी.</td><td rowspan="14">12 मी.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>के–255</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>के–256</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>के–257</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>के–258</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>के–259</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>के–260</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>के–261</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>के–465</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>के–467</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>के–468</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>के–471</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>के–472</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>के–473</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त के प्रस्तावानुसार उपलब्ध रिक्त भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया। |
| 11. | 14ए | 115:11 | ग्राम प्रहलादपुरा तह. सांगानेर में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की आवासीय योजना बालाजी एनक्लेव–बी के सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 7502.96 वर्गगज (एण्ड यूज अस्पताल) तथा 1696.62 वर्गगज (एण्ड यूज स्कूल) भूमि विकासकर्त्ता को आवंटन करने के संबंध में। | राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 के अन्तर्गत श्री अशोक अग्रवाल 25, दयाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (विकासकर्त्ता) को उनके आवेदन पर निजी खातेदारी की अनुमोदित आवासीय योजना बालाजी एनक्लेव–बी के सुविधा क्षेत्र के निर्धारित एण्ड यूज (End Use) 7502.96 वर्गगज भूमि को अस्पताल प्रयोजनार्थ व 1696.62 वर्गगज भूमि को स्कूल प्रयोजनार्थ योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। |
| 12. | 14ए | 115:12 | ग्राम बाढरमजानीपुरा तह. चाकसू व ग्राम मथुरावाला तह. सांगानेर में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की आवासीय योजना मथुरावाला–बी के सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 4629.50 वर्गगज (एण्ड यूज स्कूल) तथा 1351.68 वर्गगज (एण्ड यूज डिस्पेन्सरी) भूमि विकासकर्त्ता को आवंटन करने के संबंध में। | राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 के अन्तर्गत श्री अशोक अग्रवाल 25, दयाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (विकासकर्त्ता) को उनके आवेदन पर निजी खातेदारी की अनुमोदित आवासीय योजना मथुरावाला –बी के सुविधा क्षेत्र के निर्धारित एण्ड यूज (End Use) 4629.50 वर्गगज भूमि को स्कूल प्रयोजनार्थ व 1351.68 वर्गगज भूमि को डिस्पेन्सरी प्रयोजनार्थ योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। |
| 13. | 14ए | 115:13 | ग्राम खेडा जगन्नाथपुरा तह. चाकसू में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की आवासीय योजना हनुमान वाटिका ए–1 के सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 3692.64 वर्गगज (एण्ड यूज स्कूल) भूमि विकासकर्त्ता को आवंटन करने के संबंध में। | राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 के अन्तर्गत श्री अशोक अग्रवाल 25, दयाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (विकासकर्त्ता) को उनके आवेदन पर निजी खातेदारी की अनुमोदित आवासीय योजना हनुमान वाटिका ए–1 के सुविधा क्षेत्र के निर्धारित एण्ड यूज (End Use) 3692.64 वर्गगज भूमि को स्कूल प्रयोजनार्थ योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। |
| 14. | 14ए | 115:14 | ग्राम बाढरमजानीपुरा एवं खेडा जगन्नाथपुरा तह. चाकसू व ग्राम मथुरावाला तह. सांगानेर में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की आवासीय योजना श्रीराम एनक्लेव–सी के सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 2594.18 वर्गगज (एण्ड यूज अस्पताल) की भूमि विकासकर्त्ता को आवंटन करने के संबंध में। | राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 के अन्तर्गत श्री अशोक अग्रवाल 25, दयाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (विकासकर्त्ता) को उनके आवेदन पर निजी खातेदारी की अनुमोदित आवासीय योजना श्रीराम एनक्लेव–सी के सुविधा क्षेत्र के निर्धारित एण्ड यूज (End Use) 2594.18 वर्गगज भूमि को अस्पताल प्रयोजनार्थ योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। |
| 15. | 14ए | 115:15 | ग्राम प्रहलादपुरा व ग्राम मथुरावाला तह. सांगानेर में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की आवासीय योजना बालाजी एनक्लेव–ए के सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 1384.10 वर्गगज (एण्ड यूज डिस्पेन्सरी) भूमि विकासकर्त्ता को आवंटन करने | राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 के अन्तर्गत श्री अशोक अग्रवाल 25, दयाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (विकासकर्त्ता) को उनके आवेदन पर निजी खातेदारी की अनुमोदित आवासीय योजना बालाजी एनक्लेव–ए के सुविधा क्षेत्र के निर्धारित एण्ड यूज (End Use) 1384.10 वर्गगज भूमि को डिस्पेन्सरी प्रयोजनार्थ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | के संबंध में। | योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। |
| 16. | 14ए | 115:16 | ग्राम खेडा जगन्नाथपुरा तह. चाकसू में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की आवासीय योजना श्रीराम एनक्लेव–डी के सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 2340.00 वर्गगज (एण्ड यूज स्कूल) भूमि विकासकर्ता को आवंटन करने के संबंध में। | राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 के अन्तर्गत श्री अशोक अग्रवाल 25, दयाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (विकासकर्ता) को उनके आवेदन पर निजी खातेदारी की अनुमोदित आवासीय योजना श्रीराम एनक्लेव–डी के सुविधा क्षेत्र के निर्धारित एण्ड यूज (End Use) 2340.00 वर्गगज भूमि को स्कूल प्रयोजनार्थ योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। |
| 17. | 17 | 115:17 | श्रीमती कुसुमलता अग्रवाल को भूखण्ड संख्या ए–23 गिरधारीपुरा (पृथ्वीराज नगर) में 3 मी. अतिरिक्त भूमि के आवंटन बाबत। | पृथ्वीराज नगर क्षेत्र की गिरधारीपुरा योजना में भूखण्ड संख्या ए–23 श्रीमती कुसुमलता अग्रवाल को आवंटित है। उपायुक्त ने भूखण्ड के साथ 3 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट में यह भी उल्लेख किया है कि आवेदक ने वर्तमान आवासीय आरक्षित दर 19000/– रूपये प्रति वर्गमीटर से राशि की मांग को अनुचित बताया है। राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत स्ट्रीप ऑफ लैण्ड को आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। विचार विमर्श पश्चात् समिति का मत है कि यदि अनुमोदित योजना में आवंटी की श्रेणी अनुसार आवंटन योग्य क्षेत्रफल से अधिक का भूखण्ड सृजित है, तो अधिक क्षेत्रफल को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किया जाना चाहिये। किन्तु यदि मौके पर भूखण्ड का क्षेत्रफल आवंटित क्षेत्रफल से अधिक पाया जावे, तो बढे हुये क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड मानते हुये अतिरिक्त भूमि का आवंटन आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर किया जाना चाहिये। प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ/ निर्णयार्थ प्रेषित किया जावे। |
| 18. | 12 | 115:18 | एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को साईस टेक सिटी, अचरोल में किया गया आवंटन निरस्त कर ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर में 10 एकड भूमि आवंटन करने बाबत। | एलपीसी की 97वीं बैठक दिनांक 14.08.13 में श्रम नियोजन एवं तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण विभाग) को एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति से साईस टेक अचरोल योजना में भूखण्ड संख्या 8 क्षेत्रफल 31740.61 वर्गमीटर भूमि का निःशुल्क आवंटन किया गया था। विभाग द्वारा उक्त भूमि उपयुक्त न होने से ग्राम दहमीकलां में भूखण्ड आवंटन चाहा है। उपायुक्त जोन–12 ने ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 769 रकबा 17.39 हैक्टेयर में से 10 एकड भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पूर्व आवंटन को निरस्त करते हुये प्रस्तावानुसार ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 769 में से 10 एकड भूमि योजना की संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। |
| 19. | 14ए | 115:19 | ग्राम शिवदासपुरा तह. चाकसू में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की आवासीय योजना कनक वाटिका विस्तार | राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 के अन्तर्गत श्री अशोक अग्रवाल 25, दयाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ई. एफ एण्ड जी ब्लॉक के सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 3522.92 वर्गगज (एण्ड यूज अस्पताल), क्षेत्रफल 5034.10 वर्गगज (एण्ड यूज सामुदायिक केन्द्र) व क्षेत्रफल 3012.94 वर्गगज (एण्ड यूज स्कूल) भूमि विकासकर्त्ता को आवंटन करने के संबंध में। | जयपुर (विकासकर्त्ता) को उनके आवेदन पर निजी खातेदारी की अनुमोदित आवासीय योजना कनक वाटिका विस्तार ई. एफ. एण्ड जी ब्लॉक के सुविधा क्षेत्र के निर्धारित एण्ड यूज (End Use) 3522.92 वर्गगज भूमि को अस्पताल प्रयोजनार्थ, 5034.10 वर्गगज भूमि को सामुदायिक केन्द्र प्रयोजनार्थ व 3012.94 वर्गगज भूमि को स्कूल प्रयोजनार्थ योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। |
| 20. | 11 | 115:20 | जविप्रा द्वारा अनुमोदित शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृ.नि.स. समिति की योजना रामेश्वर विस्तार के भूखण्ड संख्या 11 में बढे हुये क्षेत्रफल के संबंध में। | शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृ.नि.स.स. की योजना रामेश्वर विस्तार में श्री कल्याण सहाय पुत्र श्री नन्छुराम का भूखण्ड संख्या 11 जो कि 100' सडक व 40' सडक कॉर्नर पर स्थित है। बी.पी.सी. की 125वीं बैठक दिनांक 28.08.09 में 100' चौडी सडक को 60' करने का निर्णय लिया गया। जिसके कारण उक्त भूखण्ड का अनुमोदित मानचित्र के अनुसार क्षेत्रफल 723.96 वर्गगज के स्थान पर रोड की चौडाई कम होने से 981.71 वर्गगज हो गया है। उपायुक्त ने 275.75 वर्गगज का नवीन भूखण्ड सृजित नहीं किया जा सकना अंकित किया है। उपायुक्त द्वारा इस बढे हुये क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के रूप में आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर निदेशक (आयोजना) द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल में 10 X 10 की 8 दुकानें नीलामी हेतु प्रस्तावित की है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि दुकानें सृजित करने से आवंटी को कॉर्नर भूखण्ड उपलब्ध नहीं हो पायेगा। जबकि उसे कॉर्नर भूखण्ड आवंटित है। अतः प्रकरण में बढा हुआ क्षेत्रफल 100 वर्गगज से अधिक होने के कारण योजना की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया। |
| 21. | 7 | 115:21 | मै. मंगलम बिल्डर्स प्रा. लि. जयपुर को निजी खातेदारी की योजना वैशाली स्टेट–ए ब्लॉक ए में सुविधा क्षेत्र की भूमि आवंटन करने बाबत। | उपायुक्त जोन–7 ने मैसर्स मंगलम बिल्डर्स प्रा. लि. जयपुर को निजी खातेदारी की योजना वैशाली स्टेट–ए ब्लॉक ए में सुविधा क्षेत्र के 3777.28 वर्गगज व 1831.06 वर्गगज को अस्पताल प्रयोजनार्थ नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.05.12 व 13.02.15 के अनुसरण में आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है।<br>विकासकर्त्ता द्वारा दिनांक 10.06.14 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सुविधा क्षेत्र की भूमि का आवंटन चाहा है। एलपीसी की बैठक दिनांक 18.06.14 में डवलपर को वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया है व डवलपर को दिनांक 10.07.14 को आवंटन पत्र जारी कर आवंटन स्वीकार हो, तो धन राशि जमा कराने का उल्लेख किया है। डवलपर ने जारी आवंटन पत्र व मांग पत्र की शर्त संख्या 17, 18, 20 व 21 को स्वीकार न कर टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत जारी आदेश दिनांक 03.05.12 के अनुसार आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया है। प्रकरण विस्तृत विवरण के साथ निर्णयार्थ राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। |
| 22. | 13ए | 115:22 | श्री रूपनारायण शर्मा को शौर्य चक्रधारक से सम्मानित होने पर भूखण्ड आवंटन करने बाबत। | श्री रूपनारायण शर्मा ने वर्ष 1975 में शौर्य चक्र से सम्मानित होने के फलस्वरूप भूखण्ड आवंटन का आवेदन किया है। उपायुक्त जोन–13ए ने राजभवन योजना में एक मात्र रिक्त भूखण्ड बी–214 क्षेत्रफल 220 वर्गमीटर उपलब्ध होना बताकर राजस्थान सुधार न्यास |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के तहत आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्री रूपनारायण शर्मा शौर्य चक्रधारी को भूखण्ड संख्या बी–214 क्षेत्रफल 220 वर्गमीटर योजना की आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। |
| 23. | 13ए | 115:23 | श्री सनातन कुमार पारीक को आवंटित भूखण्ड के क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर के अधिक भूमि एवं कॉर्नर भूखण्ड होने के कारण अधिक क्षेत्रफल 18.08 वर्गमीटर के आवंटन बाबत। | कल्पना नगर योजना में काफी भूखण्ड योजना सीमा से प्रभावित होने के प्रभावित भूखण्डधारियों को योजना में रिक्त भूखण्डों का विनिमय लॉटरी के माध्यम से किया गया है। 120 वर्गमीटर के ओर रिक्त भूखण्ड उपलब्ध न होने से आयुक्त महोदय की अनुमति से तीन कॉर्नर भूखण्डों को लॉटरी में शामिल किया गया। प्रार्थी श्री सनातन कुमार पारीक को पूर्व आवंटित भूखण्ड के स्थान पर कॉर्नर भूखण्ड संख्या ई–633 क्षेत्रफल 138.08 वर्गमीटर आवंटन किया गया। उपायुक्त ने अधिक बढे क्षेत्रफल 18.08 वर्गमीटर व कॉर्नर भूखण्ड आवंटन की स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत उक्त बढे हुये क्षेत्रफल 18.08 वर्गमीटर को आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही कॉर्नर भूखण्ड आवंटन की स्वीकृति व 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि लिये जाने का भी निर्णय लिया गया। |
| 24. | 1 | 115:24 | केन्द्रीय भण्डारण निगम के क्षेत्रीय कार्यालय हेतु झालाना फेज–III कच्ची बस्ती योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत। | उपायुक्त जोन–1 द्वारा केन्द्रीय भण्डारण निगम, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय हेतु झालाना फेज–III कच्ची बस्ती योजना में स्कूल हेतु आरक्षित भूमि में पानी की टंकी की कम्पाउण्ड वाल के बाद शेष बची खाली भूमि 790 वर्गगज के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निगम को कार्यालय भवन हेतु झालाना संस्थानिक क्षेत्र नगर निगम सीमा में स्थित होने के कारण 790 वर्गगज भूमि योजना की आवासीय आरक्षित दर की दोगुनी दर पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया। |
| 25. | 17 | 115:25 | श्री सुरेश कुमार शर्मा को गिरधारीपुरा योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या बी–34 (कॉर्नर) में बढा हुआ क्षेत्रफल 19.74 व.मी. आवंटन करने बाबत। | उपायुक्त जोन–17 द्वारा श्री सुरेश कुमार शर्मा के गिरधारीपुरा योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या बी–34 (कॉर्नर) में 19.74 व.मी. क्षेत्रफल बढ जाने के कारण राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के रूप में आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त ने एजेण्डा नोट में पृथक से भूखण्ड सृजित नहीं किया जा सकता संबंधी टिप्पणी अंकित नहीं की है। उपायुक्त ने यह बताया है कि आवेदक वर्तमान आरक्षित दर की दुगुनी दर पर राशि जमा कराने को सहमत नहीं है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि यद्यपि राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत स्ट्रीप ऑफ लैण्ड को आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति का मानना है कि यदि अनुमोदित योजना में भूखण्ड का क्षेत्रफल आवंटी की श्रेणी अनुसार आवंटन योग्य क्षेत्रफल से अधिक का भूखण्ड सृजित है, तो अधिक क्षेत्रफल को |

प्रति० उपायुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किया जाना चाहिये। किन्तु यदि मौके पर भूखण्ड का क्षेत्रफल आवंटित क्षेत्रफल से अधिक पाया जावे, तो बढे हुये क्षेत्रफल को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड मानते हुये अतिरिक्त भूमि का आवंटन आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर किया जाना चाहिये। कॉर्नर भूखण्ड के संबंध में आवासीय आरक्षित दर की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि आवंटन के समय की आवासीय आरक्षित दर से ली जावे अथवा वर्तमान आवासीय आरक्षित दर से, के संबंध में भी प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ / निर्णयार्थ प्रेषित किया जावे। |
| **बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–** | | | | |
| 26. | 19 | 115:25(1) | जन स्वास्थ्य एवं अभियात्रिंकी विभाग को जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुमेर नगर सैक्टर जे मे भूमि आवंटन करने बाबत। | उपायुक्त जोन–19 के प्रस्तावानुसार जन स्वास्थ्य एवं अभियात्रिंकी विभाग को जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुमेर नगर सैक्टर 'जे' के सुविधा क्षेत्र 1473.5 वर्गगज को संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। |
| 27. | 14ए | 115:25(2) | ग्राम गोरधनपुरा तह. चाकसू में रिंग रोड परियोजना में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोरधनपुरा, को शिफ्ट कर ग्राम गोरधनपुरा के खसरा नं. 92 रकबा 1.12 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 भूमि में से 750 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत। | उपायुक्त जोन–14ए ने ग्राम गोरधनपुरा तह. चाकसू में रिंग रोड परियोजना में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोरधनपुरा, को शिफ्ट कर ग्राम गोरधनपुरा के खसरा नं. 92 रकबा 1.12 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 भूमि में से 750 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गोरधनपुरा की रिंग रोड परियोजना हेतु काम में ली गई 760 वर्गमीटर भूमि के एवज में ग्राम गोरधनपुरा के खसरा नं. 92 रकबा 1.12 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 भूमि में से 750 वर्गमीटर भूमि दिये जाने का निर्णय लिया गया। भूमि का आवंटन इस प्रकार किया जावे कि शेष भूमि का समुचित उपयोग हो सके। |
| 28. | 12बी व 11 | 115:25(3) | मुहाना में रिंग रोड परियोजना के मुख्य कॉरिडोर के निर्माण हेतु 5.51 हैक्टेयर वन भूमि के एवज में ग्राम जयरानपुरा तहसील आमेर में भूमि प्रत्यावर्तित / हस्तांतरित करने बाबत। | उपायुक्त जोन–11 के क्षेत्राधिकार में ग्राम मुहाना में रिंग रोड परियोजना के मुख्य कॉरिडोर के निर्माण हेतु वन क्षेत्र की ली गई 5.51 हैक्टेयर भूमि के एवज में वन विभाग को 5.51 हैक्टेयर गैर वन भूमि आवंटन की जानी है। उपायुक्त जोन–12बी द्वारा ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 1387 कुल रकबा 12.05 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 5.51 हैक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन कर राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार, आमेर को दिनांक 26.03.15 को पत्र लिखा गया है। समिति द्वारा उक्तानुसार अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि वन विभाग की ली गई भूमि को उनकी सहमति के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज करने की कार्यवाही उपायुक्त जोन–11 के स्तर पर की जावे। उपायुक्त जोन–12बी द्वारा खसरा नं. 1387 ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर की शेष भूमि की प्लानिंग भी कराई जावे। |
| 29. | 7 | 115:25(4) | सुश्री अपूर्वी चन्देला व मेजर महेश कुमार को चित्रकूट योजना में आवंटित भूखण्ड में संशोधन की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत। | उपायुक्त जोन–7 ने सुश्री अपूर्वी चन्देला को चित्रकूट योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या सी–9/621ए क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर के स्थान पर सी–9/622ए क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर व मेजर महेश कुमार को आवंटित भूखण्ड संख्या सी–9/652 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर के स्थान पर भूखण्ड संख्या सी–9/621ए के आवंटन के |

उपायुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि भविष्य में पूर्ण रूपेण परीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे। |

**बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।**

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
प्रति० आयुक्त एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–**

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभियांत्रिकी–द्वितीय / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15 से 19
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
प्रति० आयुक्त एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

## उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 115वीं बैठक दिनांक 31.03.15 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

| क्र.सं. | नाम अधिकारी मय पद | एल.पी.सी. में पद |
|---|---|---|
| 1. | श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त | अध्यक्ष |
| 2. | श्री पवन अरोड़ा, सचिव | सदस्य |
| 3. | श्री देवराज सिंह, निदेशक (वित्त) | सदस्य |
| 4. | श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (नगर आयोजना) | सदस्य |
| 5. | श्री मेघराज सिंह रतनू, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि) व भूमि अवाप्ति अधिकारी | सदस्य |
| 6. | श्रीमति रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) | सदस्य सचिव |
| 7. | श्री बृजेश कुमार शर्मा, विशेषाधिकारी (आर एम) | विशेष आमंत्रित |
| 8. | श्री चैन सिंह राठौड़, उपायुक्त जोन–1 | विशेष आमंत्रित |
| 9. | श्री सुखवीर सैनी, उपायुक्त जोन–7 | विशेष आमंत्रित |
| 10. | श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–11 | विशेष आमंत्रित |
| 11. | श्री मधुसूदन पालीवाल, उपायुक्त जोन–12 | विशेष आमंत्रित |
| 12. | डॉ. प्रवीण कुमार, उपायुक्त जोन–12बी | विशेष आमंत्रित |
| 13. | श्री बीरबल सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन–13 व 13ए | विशेष आमंत्रित |
| 14. | श्री धर्मपाल सिंह, उपायुक्त जोन–14 | विशेष आमंत्रित |
| 15. | श्री तेजाराम चौधरी, उपायुक्त जोन–14ए | विशेष आमंत्रित |
| 16. | श्री सत्तार खाँ, उपायुक्त जोन–17 | विशेष आमंत्रित |
| 17. | श्री प्रभात गौस्वामी, विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क) | विशेष आमंत्रित |